दिनांक 03.12.2025 स्वच्छ एवं सुंदर भिलाई

अवैध अतिक्रमण पर निगम की बेदखली कार्यवाही

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई जोन–3 मदर टेरेसा नगर केम्प 2 वार्ड क्रं. 33 संतोषी पारा में समृद्धि बाजार पर हुए अवैध कब्जे पर निगम को मिली शिकायत के आधार पर बेदखली की कार्यवाही की गई। अवैध कब्जा की शिकायत वार्ड पार्षद श्रीमती एन. शैलजा द्वारा की गई थी। इस भूमि का स्वामित्व विलोचन साव द्वारा खुद का बताया जा रहा था। परन्तु आज दिनांक तक भू–स्वामित्व कहने वाले कथित व्यक्ति द्वारा किसी भी प्रकार का वैध दस्तावेज निगम को प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतिक्रमणधारियों को स्वयं से अवैध कब्जा हटाने पूर्व में सूचना पत्र जारी किया गया था। किन्तु आज दिनांक 03.12.2025 तक अवैध कब्जा नहीं हटाया गया, जिसे देखते हुए आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय के निर्देशानुसार कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, निगम एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण धारियों को मौके से बेदखल करने की कार्यवाही की गई।

वार्ड 33 संतोषी पारा में स्थित पुराने समृद्धि बाजार के स्थल को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीएम आवास बनाने के लिए चिन्हांकित किया गया है। आगामी समय में शासन को प्रस्ताव भेजा जाना है, स्वीकृति पश्चात अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। कार्यवाही के दौरान जोन आयुक्त कुलदीप गुप्ता, सहायक अभियंता नितेश मेश्राम, दीपक देवांगन, सहायक राजस्व अधिकारी बसंत देवांगन, जोन स्वास्थ्य अधिकारी बीरेन्द्र बंजारे, बेदखली प्रभारी विनय शर्मा, सहायक हरिओम गुप्ता अपने टीम के साथ उपस्थित रहे।